



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1948 (श0)
(सं0 पटना 303) पटना, बुधवार, 1 अप्रील 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

1 अप्रील 2026

सं० एल०जी०-01-02/2026-2621/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बासनो शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव-सह-प्रभारी सचिव।

[बिहार अधिनियम सं०-06, 2026]

बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026

कतिपय कानूनों में संशोधन करके अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने और उन्हें तर्कसंगत बनाने और जीवन जीने और व्यापार करने में आसानी के लिए विश्वास-आधारित शासन को और बेहतर बनाने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाए:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।-

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 है।
- (2) यह उस तारीख को लागू होगा जिसे बिहार सरकार ऑफिशियल गजट में अधिसूचना के ज़रिए तय करेगी; और शेड्यूल में बताए गए अलग-अलग कानूनों से जुड़े बदलावों के लिए अलग-अलग तारीखें तय की जा सकती हैं।

2. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।- अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लेखित अधिनियमों में, अनुसूची के कॉलम (5) में निर्दिष्ट सीमा और तरीके तक, यथासंभव संशोधन किया जाता है।**3. जुर्मानों और शास्तियों का पुनरीक्षण।-** अनुसूची में उल्लेखित अधिनियमों की विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित जुर्माना और दंड को, इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, संबंधित न्यूनतम राशि के दस प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा।**4. व्यावृत्ति।-** इस अधिनियम द्वारा किसी विधान के संशोधन या निरसन का प्रभाव उस किसी अन्य विधान पर नहीं होगा जिसमें संशोधित या निरस्त किए गए विधान को लागू किया गया, समाहित किया गया या संदर्भित किया गया है; और यह अधिनियम किसी भी ऐसे अन्य विधान को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें संशोधित या निरस्त किए गए, विधान को लागू किया गया, समाहित किया गया या संदर्भित किया गया हो; और यह अधिनियम पहले से किए गए या भुगताए किए गए किसी भी कार्य या घटना के वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों को, या पहले से प्राप्त, अर्जित या उत्पन्न हुए किसी भी अधिकार, शीर्षक, दायित्व या देयता को, या उसके संबंध में किसी भी उपाय या कार्रवाई को, या किसी ऋण, दंड, दायित्व, देयता, दावा या मांग से या उससे किसी भी रिहाई या विमोचन को, या पहले से प्रदान की गई किसी भी क्षतिपूर्ति को, या किसी भी भूतपूर्व कृत्य या वस्तु के प्रमाण को प्रभावित नहीं करेगा;

और यह अधिनियम किसी भी विधि के सिद्धांत या नियम, या स्थापित अधिकार क्षेत्र, वाद-दाखिल करने के स्वरूप या तरीके, प्रथा या प्रक्रिया, या विद्यमान प्रचलन, रिवाज, विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, भले ही उन्हें क्रमशः किसी भी प्रकार से किसी ऐसे विधान द्वारा, जिसके द्वारा इस अधिनियम में संशोधन या निरसन किया गया है, या उसमें से, या उसमें या उससे मान्यता प्राप्त या व्युत्पन्न किया गया हो; न ही इस अधिनियम द्वारा किसी विधान के संशोधन या निरसन से कोई ऐसा अधिकार क्षेत्र, कार्यालय, प्रथा, देयता, अधिकार, स्वामित्व, विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छूट, उपयोग, प्रथा, प्रक्रिया या अन्य कोई विषय या वस्तु जो वर्तमान में अस्तित्व में या प्रवर्तन में नहीं है, पुनर्जीवित या पुनर्स्थापित होगा।

5. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।-

- (1) यदि इस अधिनियम द्वारा संशोधित अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हों: बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

- (2) उपधारा (1) के अंतर्गत किया गया प्रत्येक आदेश, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र विधान सभा और विधान परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची
(धारा 2 देखें)

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1860	21	सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860	धारा 11 में, " उसी अभियोजन के अधीन होगा, और, दोषी सिद्ध होने पर, उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, जैसे कोई गैर-सदस्य व्यक्ति समान अपराध के संबंध में दंडित किया जाता है", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: - " किसी भी कृत्य, चूक, या तकनीकी या प्रक्रियात्मक अनियमितता, जो सोसायटी के प्रबंधन या मामलों से संबंधित हो और जो आपराधिक या धोखाधड़ीपूर्ण प्रकृति की न हो, के मामले में, सोसायटी के लागू कानूनों, नियमों या उप-नियमों के तहत निर्धारित उपयुक्त दीवानी या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए ही उत्तरदायी होगा, बिना लागू दीवानी कानूनों के तहत वसूली के अधिकार को प्रभावित किए।: बशर्ते कि जहाँ कोई सदस्य या पदाधिकारी जानबूझकर सोसायटी की संपत्ति या परिसंपत्तियों की चोरी करता है, गबन करता है, हड़पता है, नष्ट करता है, या उनमें क्षति या हानि पहुँचाता है, तो उस व्यक्ति को उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, जैसे कि सोसायटी का सदस्य न होने वाला कोई व्यक्ति समान अपराध के लिए कानून के अनुसार दंडित किया जाता है।
2.	2007	11	बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007	1. धारा 314, भवन योजना की स्वीकृति, के लिए शब्दों: " कोई भी व्यक्ति किसी स्थायी प्रकृति की इमारत या संरचना का निर्माण या निर्माण शुरू नहीं करेगा या किसी मौजूदा इमारत के निर्माण से संबंधित कोई कार्य नहीं करेगा या किसी मौजूदा इमारत में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि भवन योजना को सरकार द्वारा तैयार किए जाने वाले नियमों और उप-नियमों के तहत नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। बशर्ते कोई भी वास्तुकार तब तक किसी भवन योजना को

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				अनुमोदित न करे जब तक कि वह राज्य सरकार/नगरपालिका द्वारा बनाए गए भवन उप-नियमों के अनुरूप न हो। यह भी प्रावधान है कि यदि भवन योजना भवन उप-नियमों का उल्लंघन या विचलन करती है, तो इस अधिनियम के तहत उठाए जा सकने वाले किसी भी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त, पंजीकृत वास्तुकार, बिल्डर और अनुमोदन प्राधिकारी के विरुद्ध अभियोजन चलाया जाएगा तथा उन्हें पचास हजार रुपये जुर्माना अथवा एक वर्ष तक की कारावास की सजा या दोनों का दंड दिया जाएगा।” निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थायी प्रकृति की इमारत या संरचना का निर्माण या निर्माण आरंभ करने, भवन निर्माण से संबंधित कोई कार्य करने, किसी मौजूदा भवन में कोई परिवर्तन, अतिरिक्त या संशोधन करने का कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक कि भवन योजना सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों और उप-नियमों के अंतर्गत नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हो। (2) यदि भवन योजना भवन उप-नियम का उल्लंघन या विचलन करती है, तो इस अधिनियम के तहत उठाए जा सकने वाले किसी भी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त, पंजीकृत वास्तुकार, अभियंता, संरचनात्मक अभियंता, नगर नियोजक, पर्यवेक्षक और बिल्डर दो लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी होंगे। 2. धारा 325 में, अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में भवन का निर्माण, शब्दों: " (1) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या तत्कालीन प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, जो जिम्मेदार है, स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, किसी नई इमारत या किसी भी इमारत की अतिरिक्त मंजिल या मंजिलों का ऐसा निर्माण करता है, या ऐसा करने का प्रयास करता है, या साजिश रचता है, और खतरे में डालता है, या खतरे में डालने की संभावना है, मानव जीवन, या नगरपालिका की किसी संपत्ति को, जिससे जल-आपूर्ति, निकासी या सीवर या फुटपाथ यातायात

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				बाधित हो जाता है या बाधित होने की संभावना हो या जिससे आग का खतरा पैदा होने की संभावना हो, खतरे में डालता है या डालने की संभावना पैदा करता है, तो उसे दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास की सज़ा, जो पाँच वर्ष तक की हो सकती है, और साथ ही पचास हजार रुपये तक का जुर्माना भी होगा। (2) उपधारा (1) के अंतर्गत अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की परिभाषा के अंतर्गत संज्ञेय होगा। निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: " (1) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, जो जिम्मेदार है, स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, किसी नई इमारत या किसी भी इमारत की अतिरिक्त मंजिल या मंजिलों का ऐसा निर्माण करता है, या करने का प्रयास करता है, या साजिश रचता है, और खतरे में डालता है, या डालने की संभावना है, मानव जीवन, या नगरपालिका की किसी संपत्ति को, जिससे जल आपूर्ति, जल निकासी या सीवर या फुटपाथ यातायात बाधित हो या बाधित होने की संभावना हो या जिससे आग का खतरा पैदा होने की संभावना हो, खतरे में डालता है या डालने की संभावना रखता है, तो उसे दो लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। (2) उप-धारा (2) - को हटाया जाएगा। 3. धारा 347 ऐसे परिसरों के उपयोग को रोकने की शक्ति, जिनका उपयोग अनुज्ञप्ति का उल्लंघन करते हुए किया गया है में शब्दों के लिए— “(1) यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की यह राय हो कि किसी परिसर का उपयोग, इस अधिनियम के अधिन अनुज्ञप्ति के बिना अथवा इसके लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों की अनुरूपता से भिन्न किया जा रहा है तो वह किसी ऐसे प्रयोजनार्थ ऐसे परिसरों के उपयोग को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसे उपाय से रोका जा सकता है, जो वह आवश्यक समझें।” निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा “यदि मुख्य नगर अधिकारी की राय है कि किसी परिसर का उपयोग इस अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति के बिना या उस संबंध में दिये गये अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप न होकर

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे किसी भी परिसर का उपयोग ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसे उपायों से रोक सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।” और शब्दों "(2) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी परिसर का उपयोग करना जारी रखता है, तो मुख्य नगर अधिकारी, इस अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के बावजूद, धारा 367 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे व्यक्ति पर निरंतर जुर्माना लगा सकता है।" निम्नलिखित का लोप कर दिया जाएगा: “धारा 347 की उपधारा (2)।” 4. धारा 426, विनियम के उल्लंघन का दंड, (1) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया कोई भी विनियम यह प्रावधान कर सकता है कि उसके उल्लंघन के लिए दंडनीय होगा- शब्दों के लिए: (क) दो हजार पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से, या (ख) दो हजार पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से और, निरंतर उल्लंघन की स्थिति में, पहले ऐसे उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के बाद प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से, अथवा (ग) प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपये तक के जुर्माने से, जब तक यह उल्लंघन जारी रहता है, उस व्यक्ति द्वारा, जो विनियम का उल्लंघन कर रहा है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगरपालिका के किसी अन्य अधिकारी, जिसे इस संबंध में विधिवत अधिकृत किया गया हो, से ऐसे उल्लंघन को बंद करने के लिए नोटिस प्राप्ति के बाद। निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: “ धारा 426. बार-बार होने वाले और लगातार उल्लंघन के लिए दंड- (1) इस अधिनियम में अंतर्निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी व्यक्ति पर अनुभाग 314, 325, 432, 433, और 434 के अंतर्गत किसी उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है, और

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				वह व्यक्ति बाद में वही उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाया जाएगा। (2) उप-धारा (1) में संदर्भित बढ़ी हुई दंड राशि, धारा 314, 325, 432, 433, 434 के तहत विशिष्ट उल्लंघन के लिए लगाई जाने वाली दंड राशि और प्रत्येक बाद के उल्लंघन के लिए 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि होगी। परन्तु की यदि कोई व्यक्ति उप धारा-(1) में निर्दिष्ट एक से अधिक धाराओं के तहत एक साथ या एक के बाद एक उल्लंघन करता है तो धारा के लिए बढ़ी हुई जुर्माना लागू होगी और प्रत्येक धारा के लिए गणना स्वतंत्र रूप से की जाएगी। 5. धारा 429 (ख) (i, ii) दंडनीय कुछ अपराधों के लिए, शब्दों: "दंडनीय होगा - (i) जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है, या कारावास से, जो छह महीने तक हो सकता है, या दोनों से। (ii) किसी निरंतर उल्लंघन या विफलता की स्थिति में, पहले ऐसे उल्लंघन या विफलता के लिए दोषसिद्धि के बाद, जब तक ऐसा उल्लंघन या विफलता जारी रहती है, तब तक के प्रत्येक दिन के लिए एक अतिरिक्त जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक हो सकता है, बशर्ते कि यह अधिकतम पाँच हजार रुपये तक ही हो।" निम्नलिखित को विलोपित की जाएगी: "धारा 429" – पूरी धारा विलोपित की जाएगी। 6. धारा 432, "भवन को उस उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए लगाने पर जुर्माना जिसके लिए उपधारा (1) के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है। – जब किसी परिसर का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा धारा 398 की उपधारा (1) के तहत अनुदानित अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए या अस्तबल या पशु-शेड या गौशाला के रूप में किया जाता है या करने की अनुमति दी जाती है, तो ऐसा व्यक्ति, उस पर लागू होने वाली किसी अन्य दंडनीय कार्रवाई के अधीन रहते हुए, ऐसे जुर्माने का उत्तरदायी होगा जो, ईंट-पत्थर की इमारत के मामले में, दो सौ पचास रुपये

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				तक और झोपड़ी के मामले में, पच्चीस रुपये तक, और ऐसे उपयोग की निरंतरता की स्थिति में, एक और जुर्माने के लिए, जो ईंट-पत्थर की इमारत के मामले में, पचास रुपये तक और झोपड़ी के मामले में, पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए पांच रुपये तक हो सकता है, जब तक कि ऐसा उपयोग जारी रहता है।" निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: भवन का उस उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए जुर्माना जिसके लिए अनुज्ञप्ति दिया गया है। - जब किसी परिसर का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा धारा 398 की उप-धारा (1) के तहत दिए गए अनुज्ञप्ति के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए या अस्तबल या पशु-शेड या गौशाला के रूप में किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को, उस पर लागू किसी अन्य दंड के प्रवर्तन के बिना, एक लाख रुपये का और झोपड़ी के मामले में पचास हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का दायित्व होगा। 7. धारा 433 में , ठेकेदार को बाधा पहुंचाने के लिए दंड , शब्दों के लिए: " जो भी कोई ऐसे व्यक्ति को बाधित करेगा या परेशान करेगा जिसके साथ नगरपालिका ने इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य के निष्पादन के लिए अनुबंध किया है , उसे दोषसिद्धि पर दो महीने तक की कारावास या दो सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा । निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: " जो कोई भी ऐसे व्यक्ति को बाधित करता है या परेशान करता है, जिसके साथ नगरपालिका ने इस अधिनियम के तहत किसी कार्य के निष्पादन के लिए अनुबंध किया है, वह एक लाख रुपये का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा" 8. धारा 434 में , नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना, इन शब्दों के लिए: " कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की किसी भी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा । नगर पालिका की किसी भी संपत्ति को कोई भी नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को, दोषी पाए जाने पर, एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: “ कोई भी व्यक्ति जो नगर पालिका की किसी भी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है, उसे एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। ” 9. धारा 436 में , जुर्माना न देने पर कारावास की सजा , निम्नलिखित शब्दों के लिए: " ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध जुर्माने या कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है और किसी व्यक्ति को जुर्माना भरने के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है, वहां ऐसा न्यायालय यह निर्देश देने के लिए सक्षम होगा कि जुर्माना न भरने पर, वह व्यक्ति ऐसे कार्यकाल के लिए कारावास या, जैसा भी मामला हो, छह मास से अधिक नहीं के ऐसे अतिरिक्त कार्यकाल को भुगतेंगा, जैसा न्यायालय नियत करे। निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: “ (1) संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) को अवसर प्रदान किए बिना धारा 314, 325, 432, 433 और 434 के अंतर्गत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। (2) उप-धारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना संबंधित व्यक्ति द्वारा उक्त आदेश पारित होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर चुकाया जाएगा। (3) धारा 314, 325, 432, 433 तथा 434 के अन्तर्गत लगाया गया जुर्माना इस अधिनियम की धारा 155 के उपबन्धों के अन्तर्गत उपयोगकर्ता प्रभार के समान वसूल किया जाएगा। (4) कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के अन्तर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने से व्यथित है, आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर धारा 329 के अन्तर्गत गठित नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है। 10. धारा 437 में , सामान्य दंड , शब्दों के लिए: " जो कोई भी, किसी ऐसे मामले में जिसमें इस अधिनियम में सजा का साफ़ तौर पर प्रावधान नहीं है, इसके किसी भी प्रावधान के तहत जारी किसी नोटिस या आदेश या माँग का पालन करने में असफल रहता है, या इस एक्ट के किसी

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसे एक हजार रुपये तक के जुर्माने से सजा दी जाएगी, और, लगातार उल्लंघन के मामले में, पहले दिन के बाद हर दिन के लिए सौ रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से, जिसके दौरान वह ऐसी अवरोध या उल्लंघन में लगा रहता है, सजा दी जाएगी।" निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: "दंड का आवधिक संशोधन: — (1) उप-नियमों के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत उपबंधित शास्तियों में प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात, यथास्थिति, विहित शास्ति की राशि के दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। (2) इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों, इसके सहायक नियमों तथा इसके अधीन बनाए गए उपनियमों के अंतर्गत उल्लेखित अद्यतन दण्डों का विवरण मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन के संबंध में नगरपालिका से सूचना प्राप्त होने पर, यथाउपबंधित समयावधि के भीतर संधारित किया जाएगा। 11. धारा 440, अपराधों का शमन, में शब्दों के स्थान पर: "(1) मुख्य नगरपालिका अधिकारी या यदि नगरपालिका द्वारा इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत किया गया हो तो नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी, नगरपालिका अभियंता या नगरपालिका का कोई अन्य अधिकारी कार्रवाई शुरू होने के पूर्व या बाद में और विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर किसी अपराध का शमन कर सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा शमनीय के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।" (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमन द्वारा दंडनीय कोई अपराध समझौता योग्य नहीं होगा यदि ऐसा अपराध धारा 20 में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से जारी किसी नोटिस, आदेश या अध्याचना का अनुपालन करने में विफलता के कारण किया जाता है, जब तक कि

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				यथास्थिति ऐसे नोटिस, आदेश या अध्याचना का, जहां तक ऐसा अनुपालन संभव हो, अनुपालन नहीं कर लिया जाता है। (3) जहां किसी अपराध का शमन कर दिया गया है, अपराधी को, यदि वह हिरासत में है, मुक्त कर दिया जाएगा और इस प्रकार शमन किए गए अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। निम्नलिखित को छोड़ दिया जाएगा: धारा 440 – पूरी धारा हटा दी जाएगी।
3 .	2012	20	बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012	1. धारा 41, अनधिकृत विकास या विकास योजना के अनुपालन के बिना उपयोग के लिए दंड। - , शब्दों के लिए: " दोषी को साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी, अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने से, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा, और निरंतर अपराध की स्थिति में, प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी दण्डस्वरूप लगाया जाएगा। (2) कोई भी व्यक्ति जो धारा 33, धारा-34 और धारा-35 के तहत अनुमति प्राप्त किए बिना, या जिस अवधि के लिए उपयोग की अनुमति दी गई है उसके बाद, या जिन शर्तों के तहत ऐसे उपयोग की निरंतरता की अनुमति दी गई है उनका अनुपालन किए बिना, किसी विकास योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी भूमि या भवन का उपयोग जारी रखता है या उपयोग करने की अनुमति देता है, तो उसे छह महीने तक की साधारण कैद की सजा दी जाएगी, या पचास हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा और निरंतर अपराध के मामले में, पहले अपराध के लिए दोषसिद्धि के बाद प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: "पच्चीस लाख रुपये का जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(2) कोई भी व्यक्ति जो धारा-33, धारा-34 तथा धारा-35 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त किए बिना विकास योजना के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भूमि या भवन का उपयोग करना जारी रखता है या करने देता है या जिस अवधि के लिए उपयोग की अनुमति दी गई है, उसके पश्चात ऐसे उपयोग को जारी रखता है या जिन नियमों और शर्तों के अन्तर्गत ऐसे उपयोग को जारी रखने की अनुमति दी गई है, उनका अनुपालन किए बिना ऐसा करता है, तो वह दस लाख रुपए का जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। 2. और निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी: 41क. दंड लगाना। — (1) अगर योजना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO) को लगता है कि किसी व्यक्ति ने इस एक्ट के किसी प्रोविजन, या इसके तहत बनाए गए किसी नियम, विनियमन, या उपविधि का उल्लंघन किया है, तो उस व्यक्ति को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा, जिस पर उल्लंघन करने का आरोप है। (2) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लगाई गई कोई भी शास्ति, संबंधित व्यक्ति द्वारा उक्त आदेश पारित करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर चुकाई जाएगी। (3) इस धारा के तहत मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति से परेशान कोई भी व्यक्ति, 30 दिनों के अंदर, धारा 79 के तहत बने अधिकरण में अपील कर सकता है। (4) इस अधिनियम के अधीन लगाया गया कोई भी जुर्माना या राशि, जो निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं की जायगी उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायगी। 3. धारा-42 अप्राधिकृत विकास हटाए जाने की अपेक्षा की शक्ति - , शब्दों के स्थान पर: (6) यदि नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या उप-धारा (3) के तहत अनुमति के लिए आवेदन या अपील के निपटारे या वापस लेने के बाद ऐसी अवधि के भीतर, नोटिस या उसका उतना हिस्सा जो प्रभावी रहता है, या अपील में किए गए परिवर्तन के साथ

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो योजना प्राधिकरण- (क) नोटिस का पालन न करने पर मालिक पर मुकदमा चलाना और अगर नोटिस में ज़मीन का इस्तेमाल बंद करने की ज़रूरत हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति पर भी मुकदमा चलाना जो नोटिस के खिलाफ़ ज़मीन का इस्तेमाल करता है या ज़मीन का इस्तेमाल करने देता है या करने देता है; और (ख) (i) किसी इमारत या किसी इमारत पर किए जाने वाले कार्य को गिराने या उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता वाले नोटिस के मामले में, उसे विकास होने से पहले की स्थिति में बहाल करने और अनुमति की शर्तों या संशोधित अनुमति के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, योजना प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें किसी भी इमारत या कार्य को गिराना या उसमें परिवर्तन करना या किसी भी इमारत या अन्य कार्यों को अंजाम देना शामिल है; (ii) योजना प्राधिकरण, उप-खण्ड (i) के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की लागत को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में स्वामी से वसूल कर सकेगा। (7) उप-धारा (6) के खंड (क) के अंतर्गत अभियोजित कोई व्यक्ति साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से तथा अपराध जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माने से, दण्डित किया जाएगा। जो अपराध के प्रथम बार किए जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात ऐसे अपराध के जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रूपये तक हो सकेगी। निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: (6) यदि नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या उप-धारा (3) के तहत अनुमति के लिए आवेदन या अपील के निपटारे या वापस लेने के बाद ऐसी अवधि के भीतर, नोटिस या उसका उतना हिस्सा जो प्रभावी रहता है, या अपील में किए गए परिवर्तन के साथ नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो योजना प्राधिकरण- (क) नोटिस का पालन न करने पर मालिक पर और जुर्माना

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				लगाएगा और अगर नोटिस में ज़मीन का इस्तेमाल बंद करने की ज़रूरत हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति पर भी जो नोटिस के उल्लंघन में ज़मीन का इस्तेमाल करता है या ज़मीन का इस्तेमाल करने देता है या करने देता है; और (ख) (i) किसी इमारत या किसी इमारत पर किए जाने वाले कार्य को गिराने या उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता वाले नोटिस के मामले में, उसे विकास होने से पहले की स्थिति में बहाल करने और अनुमति की शर्तों या संशोधित अनुमति के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, योजना प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें किसी भी इमारत या कार्य को गिराना या उसमें परिवर्तन करना या किसी भी इमारत या अन्य कार्यों को अंजाम देना शामिल है; (ii) योजना प्राधिकरण, उप-खण्ड (i) के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की लागत को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में स्वामी से वसूल कर सकेगा। (7) जिस व्यक्ति पर उपधारा (6) के खण्ड (क) के अधीन जुर्माना लगाया जाता है, वह दो लाख रुपये का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा। 4. धारा 43. अनधिकृत विकास को रोकने और पुलिस की आवश्यकता की शक्ति।- , शब्दों के स्थान पर: (3) कोई भी व्यक्ति, जो ऐसी नोटिस तामील होने के बाद भी, चाहे अपने लिए या मालिक या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भूमि और भवन का विकास करना जारी रखता है, उसे छह महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या पचास हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है और जब गैर-अनुपालन जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माने के साथ जो नोटिस की तामील की तारीख के बाद प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके दौरान गैर -अनुपालन जारी रहा है। निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: (3) कोई भी व्यक्ति, जो ऐसी नोटिस दिए जाने के बाद भी, चाहे स्वयं के लिए या मालिक या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भूमि

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				और भवन का विकास करना जारी रखता है, वह दो लाख रुपये का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा और जब उल्लंघन जारी रहता है, तो नोटिस की सेवा की तारीख के बाद प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा, जिसके दौरान गैर-अनुपालन जारी रहा है। 5. धारा 90. प्रवेश की शक्ति.- शब्दों के लिए: (3) कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के अधीन किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए सशक्त या अधिकृत व्यक्ति के प्रवेश में बाधा डालता है, तो उसे छह माह तक के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। निम्नलिखित को विलोपित किया जाएगा: उपधारा (3) – विलोपित की जाएगी। 6. धारा-98. संविदाकार को बाधा पहुँचाने या चिन्ह हटाने के लिए जुर्माना।- शब्दों के स्थान पर: यदि कोई व्यक्ति – (1) बोर्ड या किसी योजना प्राधिकरण द्वारा नियोजित या काम पर रखे गए किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ बोर्ड या योजना प्राधिकरण ने कोई अनुबंध किया हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य या किसी ऐसी बात के पालन या निष्पादन में बाधा डालता है जिसे करने के लिए वह इस अधिनियम के अधीन सशक्त है या अपेक्षित है, अथवा (2) इस एक्ट के तहत प्राधिकृत काम करने के लिए ज़रूरी किसी लेवल या दिशा को दिखाने के मकसद से लगाए गए किसी निशान को हटाता है। ऐसे लोगों को 5 हजार रुपये तक का जुर्माना या दो महीने तक की जेल हो सकती है। निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: यदि कोई व्यक्ति – (1) बोर्ड या किसी योजना प्राधिकरण द्वारा नियोजित या काम पर रखे गए किसी व्यक्ति को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके साथ बोर्ड या योजना प्राधिकरण ने कोई अनुबंध किया है, ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य या किसी ऐसी चीज के पालन या निष्पादन में बाधा डालता है जिसे

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				करने के लिए वह इस अधिनियम के तहत सशक्त है या अपेक्षित है, या इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक किसी स्तर या दिशा को दर्शाने के प्रयोजन के लिए स्थापित किसी चिह्न को हटाता है, तो वह एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। 7. धारा 104, शब्दों के स्थान पर: जुर्माना जब वसूल हो जाए तो योजना प्राधिकरण को भुगतान किया जाना है।- केस चलाने के संबंध में वसूले गए सभी जुर्माने संबंधित योजना प्राधिकरण को दिए जाएंगे। निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: जुर्माना वसूल होने पर उसका भुगतान योजना प्राधिकरण को किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन के संबंध में वसूला गया समस्त जुर्माना संबंधित योजना प्राधिकरण को भुगतान किया जाएगा। 8. और निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी: 104 क- दंड का आवधिक संशोधन: — उप-नियमों के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत उपबंधित दंडों में , प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात, यथास्थिति, निर्धारित दंड की राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
4 .	1984	12	बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1983	धारा 20 की उपधारा (1) में , " एक वर्ष तक के कारावास या दो हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा " शब्दों के स्थान पर , निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: " दो हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।" धारा 29 की उपधारा (5) में, शब्दों के स्थान पर, " छह महीने तक की अवधि के कारावास या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।" निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: " दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।"

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	2025	4	बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2025	धारा 20 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा : धारा 20 (1) काष्ठ आधारित उद्योग का संचालन एक संज्ञेय अपराध होगा। धारा 20 (2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या करने का प्रयास करता है या उल्लंघन में सहायता करता है, तो वह एक लाख रुपये तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा और निरंतर उल्लंघन की स्थिति में, उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु यदि किसी व्यक्ति के पास काष्ठ आधारित उद्योग के लिए वैध अनुज्ञप्ति नहीं है और वह इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या करने का प्रयास करता है या ऐसा करने में सहायता करता है, तो उसे तीन महीने से एक वर्ष तक की कैद और/या 10000/- (दस हजार) रुपये से 100000/- (एक लाख) रुपये तक का जुर्माना दंड के रूप में दिया जाएगा। (एक लाख) या दोनों से।
6.	2010	11	बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन) अधिनियम, 2010	1. बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा-2 में संशोधन।-धारा-2 की उपधारा (ग) को बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए रूपांतरण) उद्देश्यों) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा 2 की उपधारा (छ) को यथासंभव रद्द किया जाता है और उसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:- "(छ) "सक्षम प्राधिकार" का मतलब है अनुमंडल पदाधिकारी या भूमि सुधार उप समाहर्ता के स्तर से नीचे का कोई पदाधिकारी, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित खेती की ज़मीन या उसका कोई हिस्सा आता हो, और इसमें सरकार द्वारा डेवलप और

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				अधिसूचित किया गया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या पोर्टल भी शामिल होगा, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से और उसके अधिकार क्षेत्र में, ऑटोमैटिक स्वमूल्यांकन , शुल्क संग्रहण और परिवर्तन के लिए सिस्टम के माध्यम से जारी किए गए अनुमति या प्रमाण-पत्र जारी करने के मकसद से काम करेगा।" 2. बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा-3 में संशोधन।- बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा-3(6) और 3(7) को विलोपित किया जाता है तथा धारा-3(3), 3(4) और 3(5) को क्रमशः निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:- " 3(3) ऑटोमेटेड लैंड कन्वर्जन सिस्टम - राज्य सरकार, एक अधिसूचना के ज़रिए, एक ऑटोमेटेड लैंड कन्वर्जन सिस्टम लागू करेगी, जिसके तहत ज़मीन का मालिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या पोर्टल के ज़रिए डू-इट-योरसेल्फ (DIY) मोड में खेती की ज़मीन को गैर-खेती के कामों के लिए बदल सकता है। "3(4) इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :- (क) भूमि अभिलेखों से भूमि खंडों का स्व-चयन; (ख) आवेदक द्वारा स्व-घोषणा; (ग) निर्धारित रूपांतरण शुल्क का भुगतान, और (घ) सिस्टम द्वारा ऑटोमैटिक प्रमाण-पत्र जारी करना।" "3(5) इस प्रणाली के अंतर्गत जारी की गई कोई अनुमति या प्रमाण-पत्र इस अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा तुरन्त प्रदान किया गया माना जाएगा । बशर्ते कि ऐसी अनुमति या प्रमाण पत्र 60 (साठ) दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापन के अधीन होगा और बिना किसी मुआवजे के रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि यह पाया जाता है कि अनुमति या प्रमाण पत्र गलत तथ्य प्रस्तुत करके, गलत बयानी करके, तथ्यों को दबाकर, पात्रता की शर्तों

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				या धारा-5(2), 5(3) और पर्यावरण, हवाई अड्डों, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से संबंधित नियामक प्राधिकरणों की किसी भी अन्य चित्रित शर्तों का उल्लंघन करके प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, इस कृत्य के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।" 3. बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा-6 में संशोधन।- बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा 6 की उपधारा 5(ii) के पश्चात् एक नई उपधारा 5(iii) जोड़ी जाएगी :- "5(iii) स्वचालित भूमि रूपांतरण प्रणाली के अंतर्गत कोई भी रूपांतरण जो गलत तथ्य प्रस्तुत करके, गलत बयानी करके, तथ्यों को दबाकर, पात्रता की शर्तों या धारा-5(2), 5(3) और पर्यावरण, हवाई अड्डों, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से संबंधित नियामक प्राधिकरणों की किसी भी अन्य चित्रित शर्तों का उल्लंघन करके प्राप्त किया जाता है, उसे इस धारा के प्रयोजनों के लिए अनधिकृत रूपांतरण माना जाएगा।"
7.	1962	12	बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961	1. अधिनियम की धारा-2 के अंतर्गत निम्नलिखित उपधारा (घघ) तथा (ण) जोड़ी जाएंगी।- (घघ) " बागान भूमि " से तात्पर्य किसी ऐसी भूमि से है जिसका उपयोग मुख्यतः बारहमासी आधार पर चाय, कॉफी, रबड़, कोको, बांस, इमारती काष्ठ , फलोद्यान, अन्य फलदार वृक्ष, औषधीय-जड़ी-बूटी वाले पौधे, सुगंधित पौधे या कोई अन्य ऐसे पौधे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत और अधिसूचित किया जाए, के उत्पादन के लिए किया जाता है। (ण) " कृषि-औद्योगिक परियोजना भूमि" से तात्पर्य किसी भूमि से है, जिसका उपयोग एकीकृत कृषि या उससे सम्बद्ध क्रियाकलापों, जिनमें वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन, प्रसंस्करण या मूल्य संवर्धन शामिल हो, जैसे मखाना उत्पादन, मत्स्य पालन

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				और अन्य ऐसी क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत और अधिसूचित किया जाए, के लिए किया जाता हो। 2. अधिनियम की धारा-4ख के पश्चात निम्नलिखित धारा-4ग एवं 4घ जोड़ी जाएगी।- 4ग. राज्य सरकार द्वारा "प्लांटेशन लैंड" के रूप में वर्गीकृत और अधिसूचित की गई ज़मीन को अधिनियम की धारा-4 के तहत दिए गए सीलिंग एरिया से छूट दी जाएगी, जो 20.234 हेक्टेयर के बराबर पचास एकड़ तक होगा। 4घ. राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत और अधिसूचित की गई एग्रो-इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के तहत आने वाली ज़मीन को अधिनियम की धारा -4 के तहत दिए गए सीलिंग एरिया से छूट दी जाएगी, जो 40.469 हेक्टेयर के बराबर सौ एकड़ तक होगा।
8 .	2007	4	बिहार भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2006	1. धारा 20 में, — (क) उपधारा (1) में “पांच हजार रुपए तक का जुर्माना” शब्दों के स्थान पर “दस हजार रुपए तक का जुर्माना” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ख) उपधारा (2) में “छह माह तक की अवधि के कारावास या दस हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों” शब्दों के स्थान पर “बीस हजार रुपए तक का जुर्माना” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; 2. धारा 22 में,— (क) उपधारा (1) में, “अपने विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी और तदनुसार दंडित किया जा सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “केवल दंड का उत्तरदायी होगा, जैसा कि विहित किया जा सकेगा” शब्द रखे जाएंगे। प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ख) उप धारा (2) में, “उस अपराध का दोषी भी समझा जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जा सकेगी और दंडित किया जा सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “उस अपराध का दोषी भी समझा जाएगा और केवल दंड का भागी होगा, जैसा कि विहित किया जा सकेगा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

बासनो शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव—सह—प्रभारी सचिव।

1 अप्रील 2026

सं० एल०जी०-01-02/2026-2622/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2026 को अनुमत बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 06, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बासनो शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव-सह-प्रभारी सचिव।

[Bihar Act No.- 06, 2026]

THE BIHAR JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) ACT, 2026

AN

ACT

to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences and to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows: —

1. Short title and commencement.—

- (1) This Act may be called the Bihar Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026.
- (2) It shall come into force on such date as the Government of Bihar may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for amendments relating to different enactments mentioned in the Schedule.

2. Amendment of certain enactments.—The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in column (5) thereof.

3. Revision of fines and penalties.—The fines and penalties provided under various provisions in the enactments mentioned in the Schedule shall be increased by ten per cent. of the minimum amount of fine or penalty, as the case may be, prescribed therefor, after the expiry of every three years from the date of commencement of this Act.

4. Savings.—The amendment or repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended or repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, despite the fact that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended or repealed;

nor shall the amendment or repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

5. Powe to remove difficulties.-

- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of different enactments mentioned in the schedule as amended by this Act, the State government may, by order publish in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of the enactments as amended by this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

- (2) Every Order made under sub section(1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before Legislative Assembly and Legislative Council

THE SCHEDULE

(See Section 2)

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1860	21	Societies Registration Act, 1860	In Section 11, for the words: “shall be subject to the same prosecution, and, if convicted, shall be liable to be punished in like manner, as any person not a member would be subject and liable to in respect of the like offence”, the following shall be substituted, namely:— “Shall, in case of any act. omission, or technical or procedural irregularity relating to the management or affairs of society, which is not of a criminal or fraudulent nature, be liable only to appropriate civil or administrative action as may be prescribed under the applicable laws, rules or by-laws of the society, without prejudice to recovery under applicable civil laws: Provided that where any member or office - bearer knowingly steals, misappropriates, embezzles, destroys, or causes damage or loss to the property or assets of the society, than the person shall be liable to be punished in like manner, as any person not a member of the society would be subject and liable to be punished in respect of the like offence as per law.
2.	2007	11	Bihar Municipal Act, 2007	1. In Sections 314, Sanction of Building Plan, for the words: “No persons shall construct or commence to construct, any building or structure of permanent nature or execute any work relating to construction of building undertake or any alteration addition or modification of an existing building unless, the building plan is approved by a competent authority to be designated under Rules and Bye Laws to be framed by the Government.

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Provided that no Architect shall sanction any building plan unless it is inconformity with building bye-law framed by the State Government/Municipality. Provided further that in case the building plan is in contravention or deviation of the building bye-law, in addition to any other action that may be taken under this Act, the registered architect, the builder and the approving authority shall be liable to be prosecuted and shall be liable to pay fine of Rupees fifty thousand or sentence to imprisonment for a period which may extend to one year or both.” the following shall be substituted: “(1) No persons shall construct or commence to construct, any building or structure of permanent nature or execute any work relating to construction of building undertake or any alteration addition or modification of an existing building unless, the building plan is approved by a competent authority to be designated under Rules and Bye Laws to be framed by the Government. (2) In case the building plan is in contravention or deviation of the building bye-law, in addition to any other action that may be taken under this Act, the registered Architect, Engineer, Structural Engineer, Town Planner, Supervisor, and Builder shall be liable to pay penalty of rupees two lakh.” 2. In Sections 325, Construction of building in contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder, for the words: “(1) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder or in any other law for the time being in force, any person, who, being responsible, by himself or by any other person on his behalf, so constructs, or attempts, or conspires, to so construct, any new building or additional floor or floors of any building, in contravention of the provisions of this Act or the Rules made thereunder, and endangers, or is likely to endanger, human life, or any property of the Municipality, whereupon the water-supply, drainage or sewerage or the road traffic is disrupted or is likely to be disrupted or is likely to cause a fire hazard, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and also with fine which may extend to fifty thousand rupees.

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(2) The offence under sub-section (1) shall be cognizable within the meaning of the Code of Criminal Procedure, 1973.” following shall be substituted: “(1) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder or in any other law for the time being in force, any person, who, being responsible, by himself or by any other person on his behalf, so constructs, or attempts, or conspires, to so construct, any new building or additional floor or floors of any building, in contravention of the provisions of this Act or the Rules made thereunder, and endangers, or is likely to endanger, human life, or any property of the Municipality, whereupon the water-supply, drainage or sewerage or the road traffic is disrupted or is likely to be disrupted or is likely to cause a fire hazard, shall be liable to pay a penalty of rupees two lakh. (2) Sub-Section (2) - to be omitted.” 3. In Sections 347, Power to stop use of premises used in contravention of licenses, for the words: “(1) If the Chief Municipal Officer is of the opinion that any premises is being used for a non-residential purpose without a licence under this Act or otherwise than in conformity with the terms of a licence granted in respect thereof, he may stop the use of any such premises for any such purpose for a specified period by such means as he may consider necessary.” following shall be substituted: “If the Chief Municipal Officer is of the opinion that any premises is being used for a non-residential purpose without a licence under this Act or otherwise than in conformity with the terms of a licence granted in respect thereof, he may stop the use of any such premises for any such purpose for a specified period by such means as he may consider necessary.” And for the words, “(2) If a person continues to use a premises in contravention of the provisions of sub-section (1), the Chief Municipal Officer may, notwithstanding any other action that may be taken against such person under this Act, levy on such person a continuing fine in accordance with the provisions of sub-section (4) of Section 367.” following shall be omitted: “Sub-section (2) of Section 347.”

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				4. In Sections 426 , Penalty for breach of regulation, (1) Any Regulation made under this Act may provide that a contravention thereof shall be punishable- for the words: (a) with fine which may extend to two thousand and five hundred rupees, or (b) with fine which may extend to two thousand and five hundred rupees and, in the case of a continuing contravention, with an additional fine which may extend to two hundred and fifty rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first of such contravention, or (c) with fine which may extend to two hundred and fifty rupees for every day during which the contravention continues, after the receipt by the person contravening the regulation of a notice requiring such person to discontinue such contravention from the Chief Municipal Officer or any other officer of the Municipality, duly authorized in that behalf.” following shall be substituted: “Section 426. Penalty for Repeat and Continuing Contraventions- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person on whom a penalty has been imposed for any contravention under Sections 314, 325, 432, 433, and 434, subsequently commits the same contravention, such person shall be liable to an enhanced penalty. (2) The enhanced penalty referred to in sub section (1) shall be the penalty amount imposable for the specific contravention under Section 314, 325, 432, 433, 434 along with an additional sum of 50,000 Rupees for every subsequent contravention. Provided that where a person simultaneously or subsequently commits contraventions under more than one section referred to in sub-section (1), the enhanced penalty shall be applicable and calculated independently for each such section. 5. In Section 429 b(i, ii) Punishment for certain offences, for the words: “shall be punishable –

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(i) with fine which may extend to rupees five thousand, or with imprisonment which may extend to six months, or both. (ii) in the case of a continuing contravention or failure, with an additional fine which may extend to rupees one hundred for every day during which such contravention or failure continues after conviction for the first such contravention or failure subject to a maximum of rupees five thousand.” following shall be omitted: “Section 429” – Entire section to be omitted. 6. In Sections 432, “Fine for putting building to any use other than that for which a licence has been granted. – When any premises is used or is permitted to be used by any person for any purpose other than that for which a licence has been granted under sub-section (1) of section 398 or as a stable or cattle-shed or cow-house, then such person shall, without prejudice to any other penalty to which he may be subject, be liable to a fine which may extend, in the case of a masonry building, to two hundred and fifty rupees and, in the case of a hut, to twenty five rupees, and, in the case of continuance of such use, to a further fine which may extend, in the case of a masonry building, to fifty rupees and, in the case of a hut, to five rupees for each day during which such use continues after the first day.” following shall be substituted: Penalty for putting building to any use other than that for which a licence has been granted. – When any premises is used or is permitted to be used by any person for any purpose other than that for which a licence has been granted under sub-section (1) of section 398 or as a stable or cattle-shed or cow house, then such person shall, without prejudice to any other penalty to which he may be subject, be liable to pay a penalty of rupees one lakh and, in the case of a hut, to rupees fifty thousand. 7. In Sections 433, Penalty for obstructing contractor, for the words: " Whoever obstructs or molests any person with whom the Municipality has entered into a contract for execution of any work under this Act shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to two months or with fine which

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				may extend to two hundred rupees.” following shall be substituted: “Whoever obstructs or molests any person with whom the Municipality has entered into a contract for execution of any work under this Act shall be liable to pay a penalty of rupees one lakh” 8. In Sections 434, Penalty for causing damage to property belonging to Municipality, for the words: " No person shall cause any damage to any property belonging to the Municipality. Any person causing any damage to any property belonging to the Municipality shall, on conviction, be punished with fine which may extend to one thousand rupees.” following shall be substituted: “Any person causing any damage to any property belonging to the Municipality shall be liable to pay penalty of rupees one lakh.” 9. In Sections 436, Punishment of imprisonment in default of payment of fine, for the words: " In every case where, under this Act, an offence is punishable with fine, or with imprisonment or fine, or with both, and a person is sentenced by a Court having jurisdiction to pay a fine, it shall be competent for such Court to direct that in default of payment of fine, he shall suffer imprisonment for such term or, as the case may be, such further term, not exceeding six months, as the Court may fix.” following shall be substituted: “(1) No penalty shall be imposed under Sections 314, 325, 432, 433, and 434, without affording an opportunity to the person(s) concerned. (2) Any penalty imposed by an order under sub section (1) shall be paid within a period of thirty days from the date of passing of the said order by the person concerned. (3) The penalty imposed under Sections 314, 325, 432, 433, and 434 shall be recovered as if it were a user charge under the provisions of section 155 of this Act. (4) Any person aggrieved by a penalty imposed by the Chief Municipal Officer under this section may, within 30 days from the date on which the order is passed, prefer an appeal to the Municipal Building Tribunal constituted under Section 329.” 10. In Sections 437, General penalty, for the words: " Whoever, in any case in which a penalty is not

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				expressly provided by this Act, fails to comply with any notice or order or requisition issued under any provisions thereof, or otherwise contravenes any of the provisions of this Act, shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees, and, in the case of a continuing failure or contravention, with an additional fine which may extend to one hundred rupees for every day after the first during which he has persisted in such failure or contravention.” following shall be substituted: “Periodic Revision of Penalties: — (1) The penalties provided under various provisions of this Act, its subsidiary rules and bye-laws made thereunder, shall be increased by ten per cent of the amount of penalty, as the case may be, prescribed therefor, after the expiry of every three years. (2) Details of updated penalties mentioned under various provisions of this Act, its subsidiary rules and bye-laws made thereunder shall be maintained by the Chief Municipal Officer, within such time period as provided, upon receiving notice from municipality regarding contravention under this Act.” 11. In Sections 440, Compounding of offences, for the words: “(1) The Chief Municipal Officer or, if so authorized by the Municipality in this behalf by a general or special order, the Municipal Health Officer, the Municipal Engineer or any other officer of the Municipality may, either before or after the institution of the proceeding and on payment of such fee as may be specified by regulations, compound any offence as may be classified as compoundable by the State Government by rules.” (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no offence punishable by or under this Act or by any Rule or Regulation made thereunder shall be compoundable if such offence is committed due to the failure to comply with any notice, order or requisition, as the case may be, issued by or on behalf of any of the municipal authorities referred to in Section 20, unless and until such notice, order or requisition, as the case may be, has been complied with in so far as such compliance is possible. (3) Where an offence has been compounded, the offender, if in custody, shall be discharged and no

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				further proceeding shall be taken against him in respect of the offence so compounded. following shall be omitted: Section 440 – Entire section to be omitted.
3.	2012	20	Bihar Urban Planning and Development Act, 2012	1. In Section 41, Penalty for Unauthorized Development or for Use in Non-Conformity with the Development Plan. – , for the words: “shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with a fine which may extend to one lac rupees or with both and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which the offence continues after conviction for the first commission of the office. (2) Any person who continues to use or allows the use of any land or building in contravention of the provisions of a Development Plan without having been allowed under section 33, section-34 and section-35 or where the continuance of such use after the period for which the use has been allowed or without complying with the terms and conditions under which the continuance of such use is allowed, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may be extend to six months, or with a fine which may be extend to fifty thousand rupees or with both and in the case of continuing offence with a further fine which may be extend to five hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence. following shall be substituted: “shall be liable to pay a penalty of rupees twenty five lakh. (2) Any person who continues to use or allows the use of any land or building in contravention of the provisions of a Development Plan without having been allowed under section-33, section-34 and section-35 or where the continuance of such use after the period for which the use has been allowed or without complying with the terms and conditions under which the continuance of such use is allowed, shall be liable to pay a penalty of rupees ten lakh. 2. And following Section shall be inserted: Section 41A - Imposition of Penalties. — (1) If the Chief Executive Officer (CEO) of

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Planning Authority is of the opinion that any person has contravened any provision of this Act, or any rule, regulation, or bye-law made thereunder, he shall be provided a reasonable opportunity of being heard to the person alleged to have committed the contravention. (2) Any penalty imposed by the Chief Executive Officer shall be paid within a period of thirty days from the date of passing of the said order by the person concerned. (3) Any person aggrieved by a penalty imposed by the CEO under this section may, within 30 days, prefer an appeal to the Tribunal constituted under Section 79. (4) Any penalty or sum imposed under this Act, which is not paid within the prescribed period shall be recoverable as arrears of land revenue. 3. Section 42. Power to Require Removal of Unauthorized Development.-, for the words: (6) If within the period specified in the notice or within such period after the disposal or withdrawal of the application for permission or the appeal under Sub-Section (3) the notice or so much of it as continues to have effect, or the notice with variation made in appeal, is not complied with, the Planning Authority may- (a) prosecute the owner for not complying with the notice and in case where the notice required the discontinuance of any use of land, any other person also who uses the land or causes or permits the land to be used in contravention of the notice; and (b) (i) in the case of a notice requiring the demolition or alteration of any building or works on any building to restore it to a condition before the development took place and secure the compliance with the conditions of the permission or with the permission as modified, take such steps as the Planning Authority may consider necessary including demolition or alteration of any building or works or carrying out of any building or other operations; (ii) the Planning Authority may recover the cost of any expenses incurred by it on performing its duties under sub clause (i) above, from the owner as arrears of land revenue.

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(7) Any person prosecuted under clause (a) of Sub Section (6) shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both and in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence. following shall be substituted: (6) If within the period specified in the notice or within such period after the disposal or withdrawal of the application for permission or the appeal under Sub-Section (3) the notice or so much of it as continues to have effect, or the notice with variation made in appeal, is not complied with, the Planning Authority may- (a) further impose a penalty on the owner for not complying with the notice and in case where the notice required the discontinuance of any use of land, any other person also who uses the land or causes or permits the land to be used in contravention of the notice; and (b) (i) in the case of a notice requiring the demolition or alteration of any building or works on any building to restore it to a condition before the development took place and secure the compliance with the conditions of the permission or with the permission as modified, take such steps as the Planning Authority may consider necessary including demolition or alteration of any building or works or carrying out of any building or other operations; (ii) the Planning Authority may recover the cost of any expenses incurred by it on performing its duties under sub-clause (i) above, from the owner as arrears of land revenue. (7) Any person on whom a penalty is imposed under clause (a) of Sub-Section (6) shall be liable to pay a penalty of rupees two lakh. 4. Section 43. Power to Stop Unauthorized Development and Requisition of Police.- , for the words: (3) Any person, who continues to carry out the development of land and building, whether for himself or on behalf of the owner or any other person, after

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				such notice has been served, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which non-compliance has continued or continues. following shall be substituted: (3) Any person, who continues to carry out the development of land and building, whether for himself or on behalf of the owner or any other person, after such notice has been served, shall be liable to pay a penalty of rupees two lakh and when the contravention is a continuing one, with a further penalty of five hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which non-compliance has continued or continues. 5. Section 90. Power of Entry.- for the words: (3) Any person who obstructs the entry of a person empowered or authorized under this section to enter into or upon any land or building after such entry shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or fine which may extend to ten thousand rupees, or with both. following shall be omitted: Subsection (3) - to be omitted 6. Section 98. Penalty for obstructing contractor or removing mark.- , for the words: If any person – (1) obstructs any person engaged or employed by the Board or any Planning Authority or any person with whom the Board or the Planning Authority has entered into a contract, in the performance or execution by such person of his duty or of anything which he is empowered or required to do under this Act, or (2) removes any mark set up for the purpose of indicating any level or direction necessary to the execution of works authorized under this Act. such persons shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees or with imprisonment for a term which may extend to two months.

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				following shall be substituted: If any person – (1) obstructs any person engaged or employed by the Board or any Planning Authority or any person with whom the Board or the Planning Authority has entered into a contract, in the performance or execution by such person of his duty or of anything which he is empowered or required to do under this Act, or removes any mark set up for the purpose of indicating any level or direction necessary to the execution of works authorized under this Act, shall be liable to pay a penalty of rupees one lakh. 7. Section 104, for the words: Fine when realized to be paid to Planning Authority.- All fines realized in connection with prosecution under this Act shall be paid to the Planning Authority concerned. following shall be substituted: Penalty when realized to be paid to Planning Authority.- All penalties realized in connection with contravention under this Act shall be paid to the Planning Authority concerned. 8. And following Section shall be inserted: 104A-Periodic Revision of Penalties:—The penalties provided under various provisions of this Act, its subsidiary rules and bye-laws made thereunder, shall be increased by ten per cent of the amount of penalty, as the case may be, prescribed therefor, after the expiry of every three years.
4.	1984	12	The Bihar Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1983	In Section 20 (1), for the words <i>“shall be punished with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both”,</i> the following shall be substituted, namely: <i>“Shall be liable to a penalty which may extend to two thousand rupees.”</i> " In Section 29, in sub-section (5), for the words <i>“shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both. ”</i> the following shall be substituted, namely: <i>“shall be liable to a penalty which may extend to two thousand rupees.”</i>

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	2025	4	Bihar Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Act, 2025	Section 20 will be substituted as follows: Section 20 (1) operation of any wood based industry without obtaining license under this act shall be a cognizable offence. Section 20 (2) if any person contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of any of the provision of this Act he/she shall liable to a penalty which may extend to one lakh rupees and in the case of a continuing contravention, to a further penalty which may extend to one thousand rupees for every day during which the contravention continues. Provided that if a person not having a valid license for a wood based industry contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of any of the provisions of the Act or the Rules made thereunder he/she shall be punishable with imprisonment for three months which may extend to one year, and / or with a fine of Rs. 10000/- (Ten thousand) which may extend to Rs. 100000/ (One lakh) or with both.
6.	2010	11	The Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) Act, 2010	Amendment of Section-2 of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010).-Clause (g) of Section-2 of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010) is hereby deleted and is substituted as under:- "(g) "Competent Authority" means Sub-Divisional Officer or an officer not below the rank of the Deputy Collector Land Reforms, as notified by the Government, within whose jurisdiction the concerned agricultural land or any part thereof is situated, and shall also include any electronic system or portal developed and notified by the Government, which shall function on behalf of the Revenue and Land Reforms Department and within its jurisdiction, for the purposes of automatic self-assessment, fee collection and system-generated issuance of permissions or certificates for conversion." 3. Amendment in Section-3 of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010).- Sections-3(6) and 3(7) of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010) are deleted

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				and sections-3(3), 3(4) and 3(5) are substituted respectively as under:- "3(3) Automated Land Conversion System.- The State Government shall, by notification, implement an automated land conversion system under which the landowner may convert agricultural land for non-agricultural purposes in Do-It-Yourself (DIY) mode through an electronic system or portal." "3(4) The procedure for conversion under this system shall be as follows:- - Self-selection of land parcel from land records; - Self-declaration by the applicant; - Payment of the prescribed conversion fee, and - Automatic Certificate Issuance by the System." "3(5) Any permission or certificate issued under this system shall be deemed to have been granted forthwith by the competent authority under this Act. Provided that such permission or certificate shall be subject to verification by the competent authority within 60 (sixty) days and shall be liable to be cancelled without any compensation if it is found that the permission or certificate has been obtained by presenting wrongful facts, misrepresentation, suppression of facts, eligibility conditions or in violation of Section-5(2), 5(3) and any other delineated conditions of regulatory authorities such as those relating to environment, airports, national security, etc. Also, penalty may be imposed by the competent authority for this act." 3. Amendment in Section-6 of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010).- After sub-section 5(ii) of section 6 of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010), a new sub-section 5(iii) shall be added as under:- "5(iii) Any conversion under the Automated Land Conversion System achieved by presenting wrongful facts, misrepresentation, suppression of facts, eligibility conditions or in violation of Section-5(2), 5(3) and any other delineated conditions of regulatory authorities such as those relating to environment, airports, national security, etc. shall be deemed to be an unauthorised

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				conversion for the purposes of this section."
7.	1962	12	The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961	The following sub-section-(dd) and (o) shall be added under section-2 of the Act.- (dd) "Plantation Land" means any land used primarily on perennial-perpetual basis for production of plants like tea, coffee, rubber, cocoa, bamboo, timber, orchards, fruit-bearing other trees, medicinal-herbal plants, aromatic plants or any others such plants as may be classified and notified by the State Government. (o) "Agro-industrial Project Land" means any land used for integrated agricultural or allied activities involving commercial-scale production, processing or value addition like makhana production, fisheries and such other activities as may be classified and notified by the the State Government. 2. The following section-4C and 4D shall be added after section-4B of the Act.- 4C.-"Notwithstanding anything contained in any provision of this Act Land classified and notified by the State Government as "plantation land" shall be exempted from ceiling area as contained under section-4 of the Act up-to fifty acres equivalent to 20.234 hectares." 4D.-" Notwithstanding anything contained in any provision of this Act Land covered under agro-industrial project as classified and notified by the State Government shall be exempted from ceiling area as contained under section-4 of the Act up-to hundred acres equivalent to 40.469 hectares."
8.	2007	4	The Bihar Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2006	(1) In Section 20,— (a) in sub-section (1), for the words "<i>with fine which may extend to five thousand rupees</i>", the words "<i>with penalty which may extend to ten thousand rupees</i>" shall be substituted; (b) in sub-section (2), for the words "<i>with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees or both</i>", the words "<i>with penalty which may extend to twenty thousand rupees</i>" shall be substituted;

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(2) In Section 22,— (a) in sub-section (1), for the words “<i>shall be liable to be proceeded against and punished accordingly</i>”, the words “<i>shall be liable to a penalty only, as may be prescribed</i>” shall be substituted; (b) in sub-section (2), for the words “<i>shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly</i>”, the words “<i>shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to a penalty only, as may be prescribed</i>” shall be substituted.

Basno Shanker Mehrotra,
Special Secretary –cum- Secretary
in charge to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 303-571+400-डी0टी0पी0।
 Website: <https://egazette.bihar.gov.in>